



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252261
CG-DL-E-20022024-252261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945

No. 102]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2024

(2024 का सं. 02)

सं. एल-3(4)/विनियम-नि.शा./2023-24.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 46 और धारा 27 के खंड (ख) के साथ पठित, धारा 64 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छक), (छख) तथा (छग) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम एवं आरंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
- (ख) “स्वीकृति” से पक्षकार द्वारा किया गया यह कथन या प्रस्तुतिकरण अभिप्रेत है कि वह अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन में संलिप्त है;
- (ग) “आवेदक” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथा यथापरिभाषित ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो उत्पादक संघ का सदस्य है या था और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी उद्यम की ओर से उत्पादक संघ में अंतर्बलित रहा है; और कोई ऐसा उद्यम या उद्यमों का संगम या व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, भले ही वह एकसमान या समान व्यापार में संपृक्त नहीं है, भी सम्मिलित है यदि वह ऐसे उत्पादक संघ को अग्रसर करने में भाग लेता है या भाग लेने का आशय रखता है और जो आयोग को निम्नतर शास्ति और/या निम्नतर शास्ति में वृद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है;
- (घ) “उत्पादक संघ” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित उत्पाद संघ अभिप्रेत है;
- (ङ) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
- (च) ‘पदाभिहित प्राधिकारी’ से आयोग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के प्रयोजना के लिए इस प्रकार कृत्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत है;
- (छ) ‘महानिदेशक’ से अधिनियम की धारा के खंड (छ) में यथापरिभाषित महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ज) “नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ” से आवेदक द्वारा इन विनियमों की अनुसूची I और अनुसूची II में उपबंधित प्रकटनों, इसमें आयोग या महानिदेशक के पास उपलब्ध सामग्री भी सम्मिलित है, जो आयोग को अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम दृष्टया राय बनाने में समर्थ बनाता है, के संबंध में आयोग द्वारा अवधारित उत्पादक संघ, अभिप्रेत है;
- (झ) “पक्षकार” में क्रमशः अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) और (1) में परिभाषित कोई उद्यम या व्यक्ति सम्मिलित है जिसके विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की गई है और केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई सांविधिक प्राधिकारी सम्मिलित होगा और इसमें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा;
- (ञ) “पूर्विकता स्थिति” से आवेदकों के कतार में निम्नतर या निम्नतर शास्ति में वृद्धि का फायदा देने के लिए चिन्हित आवेदक की स्थिति अभिप्रेत है;
- (ट) “महत्वपूर्ण प्रकटन” से आवेदक द्वारा आयोग को सूचना या साक्ष्य द्वारा ऐसा पूर्ण और सत्य प्रकटन अभिप्रेत है जो आयोग को किसी उत्पादक संघ के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया राय बनाने में सक्षम बनाता है या अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन को स्थापित करने में सहायता करता है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, अधिनियम या नियम या तदधीन बनाये गये विनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

निम्नतर शास्ति या निम्नतर शास्ति में वृद्धि के लिए शर्तें

3. (1) अधिनियम की धारा 46 के अधीन निम्नतर शास्ति या निम्नतर शास्ति में वृद्धि के फायदे के लिए आवेदन करने वाला कोई आवेदक, -

- (क) जब तक कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए, अपने प्रकटन के समय से उत्पादक संघ में आगे और भागीदारी समाप्त कर देगा;
- (ख) अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकटन उपलब्ध कराएगा;
- (ग) ऐसी सभी सुसंगत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराएगा जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो;
- (घ) पूर्ण अन्वेषण और आयोग के समक्ष अन्य कार्यवाहियों के दौरान वास्तविक रूप से, पूर्णतया, निरंतर और शीघ्रता के साथ सहायता उपलब्ध कराएगा;
- (ङ) किसी भी रीति में ऐसे संगत दस्तावेजों को जो उत्पादक संघ की स्थापना के संबंध में सहयोग कर सकेंगे, नहीं छिपाएगा, नष्ट, छलयोजित नहीं करेगा या नहीं हटाएगा; और
- (ट) कोई झूठा साक्ष्य नहीं देगा या कोई सरवान सूचना का यह जानते हुए लोप नहीं करेगा कि यह सरवान है।

(2) आवेदक उन व्यष्टियों के नाम उपलब्ध कराएगा जो उसकी ओर से उत्पादक संघ में अंतर्वलित रहे हैं और जिनके लिए आवेदक द्वारा, यथास्थिति, निम्नतर शास्ति या निम्नतर शास्ति में वृद्धि का आवेदन किया गया है।

(3) जहां कोई आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथास्थिति, निम्नतर शास्ति या निम्नतर शास्ति में वृद्धि का आवेदन दाखिल करते समय, अनुसूची I या अनुसूची II में या दोनों में निर्दिष्ट और वर्णित या आयोग द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित सूचना और साक्ष्य का पूर्ण और सही प्रकटन उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो आयोग उसका आवेदन नामंजूर कर सकेगा।

(4) उपविनियम में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, आवेदक को ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(5) जहां कोई आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, महानिदेशक या आयोग के समक्ष उपविनियम (1) और (4) में उल्लिखित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो आयोग उसका आवेदन नामंजूर कर सकेगा।

(6) इस विनियमन के अधीन आवेदक के निम्नतर शास्ति या निम्नतर शास्ति में वृद्धि का आवेदन नामंजूर करने से पूर्व, आयोग ऐसे आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराएगा।

(7) उपर्युक्त उपविनियम (3) या (5) के निबंधनों के अनुसार, आवेदन नामंजूर होते हुए भी, आयोग या महानिदेशक, चल रहे विषय में, अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(8) उपरोक्त उपविनियम (3) या (5) के निबंधनों के अनुसार, आवेदन नामंजूर होने पर, आवेदक उल्लंघन के लिए पूछताछ के अधीन किया जा सकेगा।

(9) इन विनियमों के अधीन धनीय शास्ति में कमी करने के संबंध में आयोग के विवेकाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, -

- (क) वह प्रक्रम जिस पर आवेदक प्रकटन के साथ आता है;
- (ख) आयोग के कब्जे में पहले से विद्यमान साक्ष्य;
- (ग) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की गुणवत्ता;
- (घ) उपर्युक्त उपविनियम (1) और (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति; और

(ड) मामले के पूर्ण तथ्य और परिस्थितियां।

निम्नतर शास्ति मंजूर किया जाना

4. विनियम 3 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित रीति में, जो आयोग विनिश्चय करे, विनियम 3 के उपविनियम में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि(यों) को अधिनियम की धारा 27 के खंड (ख) और धारा 48 के अधीन उदग्रहणीय शास्ति से निम्नतर शास्ति का फायदा मंजूर किया जा सकेगा, अर्थातः—

(क) यदि आवेदक किसी उत्पाद संघ का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो आयोग को किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसमें अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता के संबंध में प्रथम दृष्टया राय बनाने में समर्थ बनाता है, महत्वपूर्ण प्रकटन करने वाला पहला व्यक्ति है और आवेदन के समय पर आयोग के पास ऐसी कोई राय बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, तो विनियम 3 के उपविनियम में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि(यों) को शास्ति के सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा:

परंतु यह कि यदि विनियम 3 के उपविनियम में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि(गण) ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें, जो किसी अन्वेषणाधीन विषय में अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन को स्थापित करता है, महत्वपूर्ण प्रकटन करने वाला पहला व्यक्ति है और आवेदन के समय पर आयोग या महानिदेशक के पास ऐसे उल्लंघन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, तो आवेदक को शास्ति के सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा।

(ख) पहले आवेदक के पश्चातवर्ती आवेदक(कों) एवं व्यष्टि(यों) को भी ऐसा साक्ष्य, जो आयोग की राय में, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के पास किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता को स्थापित करने के लिए पहले से मौजूद साक्ष्य को सटीक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा, प्रस्तुत करके प्रकटन करने पर शास्ति में कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण — इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए “सटीक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान” से वह विस्तार अभिप्रेत है, जिस तक उपलब्ध कराया गया साक्ष्य, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के, किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता को स्थापित करने के लिए सामर्थ्य में वृद्धि करता है।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट धनीय शास्ति में कमी निम्नलिखित क्रम में होगी —

- (i) पूर्विकता स्थिति में दूसरे के रूप में चिन्हांकित विनियम 3 के उपविनियम (2) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि(यों) को उदग्रहणीय पूर्ण शास्ति के पचास प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी मंजूर की जा सकेगी; और
- (ii) पूर्विकता स्थिति में तीसरे के रूप में चिन्हांकित विनियम 3 के उपविनियम (2) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि(यों) को उदग्रहणीय पूर्ण शास्ति के तीस प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी मंजूर की जा सकेगी।

निम्नतर शास्ति में वृद्धि मंजूर किया जाना

5. (1) अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (4) के निबंधनों के अनुसार और विनियम 3 और 4 में अधिकथित शर्तों के अधीन, कोई आवेदक, जिसने विनियमन 6 (पहला उत्पाद संघ) के अधीन, अधिनियम की धारा 3, उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में पूर्ण, सही और महत्वपूर्ण प्रकटन किया था, एक और उत्पाद संघ जिसमें वह अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने में अभिकथित है, विद्यमानता के संबंध में पूर्ण, सही और महत्वपूर्ण प्रकटन करता है, जो आयोग को अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन नव प्रकटीकृत उत्पाद संघ की विद्यमानता के संबंध में प्रथम

दृष्टया राय बनाने में समर्थ बनाता है, अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार नव प्रकटीकृत उत्पाद संघ के संबंध में शास्ति के सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी का फायदा अभिप्राप्त करने के अलावा पहले उत्पाद संघ के संबंध में, धनीय शास्ति में, शास्ति के तीस प्रतिशत तक या उसके समतुल्य अतिरिक्त कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा।

दृष्टान्त:

उत्पाद संघ ए, एक्स और वाई, शास्ति में उपलब्ध, सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य और पचास प्रतिशत की कमी के साथ क्रमशः पहले और दूसरे मार्कर वाले निम्नतर शास्ति के आवेदक हैं। वाई उत्पाद संघ बी की जानकारी होने पर, उसकी विनियम 7 के अधीन रिपोर्ट करता है। उत्पाद संघ बी की रिपोर्टिंग के लिए, अपेक्षित शर्तों की पूर्णता के अध्यधीन, वाई को उत्पाद संघ बी के संबंध में पहले मार्कर की स्थिति अभिप्राप्त करने के अलावा, उत्पाद संघ ए के संबंध में शास्ति के तीस प्रतिशत तक या उसके समतुल्य अतिरिक्त कमी ग्राह्य होगी।

परंतु यह कि ऐसे आवेदक के व्यष्टि(गण), जो पहले उत्पाद संघ में उसकी निम्नतर शास्ति के आवेदन का हिस्सा थे, यदि ऐसे व्यष्टि(गण) भी नव प्रकटीकृत उत्पाद संघ और उस संबंध में दाखिल निम्नतर शास्ति में वृद्धि के आवेदन दोनों का हिस्सा हैं तो उन्हें भी आवेदक पर प्रयोज्य निम्नतर शास्ति में वृद्धि का फायदा मंजूर किया जा सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (4) के निबंधनों के अनुसार, नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ का अवधारण करते समय, आयोग उन सभी सुसंगत कारकों पर सम्यक ध्यान देगा जो नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ को मौजूदा कार्टेल से भेद करते हैं।

(3) विनियमन 5 के अधीन धनीय शास्ति में कमी करने के संबंध में आयोग के विवेकाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा –

- क) बिना निम्नतर शास्ति में वृद्धि के आवेदन के आयोग या महानिदेशक द्वारा नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ का पता लगाए जाने की संभावना, और
- ख) आयोग द्वारा सुसंगत समझा गया कोई अन्य कारक।

निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया

6. (1) निम्नतर शास्ति की मंजूरी के प्रयोजन के लिए, आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची में इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान सूचना अंतर्विष्ट करने वाला कोई आवेदन कर सकेगा या वह किसी उत्पादक संघ की विद्यमानता के संबंध में सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित प्राधिकारी को स्वतः आकर या ई-मेल या फैक्स के माध्यम से सूचित कर सकेगा। तत्पश्चात, पदाभिहित प्राधिकारी दस कार्य दिवसों के भीतर विषय को विचारार्थ आयोग के समक्ष रखेगा।

परंतु यह कि निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए विनियम 6 के उपविनियम (1) के अधीन आवेदन, पूछताछ के दौरान किसी भी समय पर, परंतु अधिनियम की धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने के अपश्चात, किया जा सकेगा।

(2) आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय वह तारीख और समय होंगे जिन्हें पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाए या जो पदाभिहित प्राधिकारी के सरवर या फैक्समाइल प्रेषण मशीन पर अभिलिखित हो।

(3) आयोग उस पर आवेदक की पूर्विकता स्थिति को चिन्हित करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी उसकी संसूचना डॉक या ई-मेल या फैक्स के माध्यम से आवेदक को प्रेषित करेगा कि 'समुचित पूर्विकता स्थिति चिन्हित कर ली गई है', और यह कि वह मात्र उस आधार पर निम्नतर शास्ति की मंजूरी देने के लिए हकदार नहीं होगा।

(4) उपविनियम (1) के अधीन, उत्पादक संघ की विद्यमानता के अस्तित्व के संबंध में सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए यदि केवल प्रज्ञापन प्राप्त होता है वहां आयोग आवेदक को पन्द्रह दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान सूचना अंतर्विष्ट करने वाला लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(5) जहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन, उपविनियम (4) के अधीन निदेशन की संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिवसों के भीतर या आयोग द्वारा विस्तारित की जाने वाली और अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होता है वहां आवेदक की निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए पूर्विकता स्थिति और उसके परिणामी फायदे का समपहरण हो जाएगा।

(6) जब तक कि पहले आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन न कर लिया जाए, तब तक आयोग द्वारा अगले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) जहां पहले आवेदक को पूर्विकता स्थिति का फायदा मंजूर नहीं किया जाता है, वहां पश्चातवर्ती आवेदक आयोग द्वारा पूर्विकता स्थिति की मंजूरी के लिए पूर्विकता के अनुक्रम में ऊपर आ जाएंगे और पहले आवेदक के मामले में दिये गये अनुसार ऊपर विहित प्रक्रिया *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू होगी।

(8) निम्नतर शास्ति के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाले आयोग के विनिश्चय को आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

निम्नतर शास्ति में वृद्धि की मंजूरी के लिए प्रक्रिया

7. (1) निम्नतर शास्ति में वृद्धि की मंजूरी के प्रयोजन के लिए, आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची में इन विनियमों की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान सूचना अंतर्विष्ट करने वाला कोई आवेदन कर सकेगा या वह किसी नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ की विद्यमानता के संबंध में सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित प्राधिकारी को स्वतः आकर या ई-मेल या फैक्स के माध्यम से सूचित कर सकेगा। तत्पश्चात, पदाभिहित प्राधिकारी दस कार्य दिवसों के भीतर विषय को विचारार्थ आयोग के समक्ष रखेगा।

परंतु यह कि निम्नतर शास्ति में वृद्धि की मंजूरी के लिए विनियम 7 के उपविनियम (1) के अधीन आवेदन, आयोग द्वारा पहले उत्पादक संघ में अधिनियम की धारा 26 के अधीन महानिदेशक की अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व किसी भी समय पर किया जा सकेगा।

परंतु यह भी कि नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ के संबंध में निम्नतर शास्ति में वृद्धि के एक से अधिक मामले में, आयोग निम्नतर शास्ति में वृद्धि की मंजूरी के लिए अगले या पश्चातवर्ती आवेदक(कों) के आवेदन का तब तक परीक्षण नहीं करेगा लिए अगले या बाद के आवेदक के आवेदन की जांच नहीं करेगा, जब तक निम्नतर शास्ति में वृद्धि के पहले आवेदक का आवेदन, आयोग द्वारा नामंजूर न कर दिया गया हो।

(2) आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय वह तारीख और समय होंगे जिन्हें पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाए या जो पदाभिहित प्राधिकारी के सरवर या फैक्सिमाइल प्रेषण मशीन पर अभिलिखित हो।

(3) आयोग पहले उत्पादक संघ के संबंध में निम्नतर शास्ति में वृद्धि, एवं साथ-साथ नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ के संबंध में निम्नतर शास्ति के लिए उस पर आवेदक की पूर्विकता स्थिति को चिन्हित करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी उसकी संसूचना डाँक या ई-मेल या फैक्स के माध्यम से आवेदक को प्रेषित करेगा कि 'समुचित पूर्विकता स्थिति चिन्हित कर ली गई है', और यह कि वह मात्र उस आधार पर निम्नतर शास्ति में वृद्धि और/या निम्नतर शास्ति की मंजूरी देने के लिए हकदार नहीं होगा।

(4) उपविनियम (1) के अधीन, नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ की विद्यमानता के अस्तित्व के संबंध में सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए यदि केवल प्रज्ञापन प्राप्त होता है वहां आयोग, आवेदक को पन्द्रह दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर इन विनियमों की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान सूचना अंतर्विष्ट करने वाला लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(5) जहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन, उपविनियम (4) के अधीन निदेशन की संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिवसों के भीतर या आयोग द्वारा विस्तारित की जाने वाली और अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होता है वहां पहले उत्पादक संघ के संबंध में निम्नतर शास्ति में वृद्धि एवं नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ के संबंध में निम्नतर शास्ति दोनों के लिए आवेदक की पूर्विकता स्थिति के साथ उनके संबंधित परिणामी फायदे का समपहरण हो जाएगा।

(6) जहां आयोग द्वारा पहले आवेदक को 'निम्नतर शास्ति में वृद्धि' का फायदा मंजूर नहीं किया जाता है, वहां पश्चातवर्ती आवेदक(गण), यदि कोई हो/हों, आयोग द्वारा पहले उत्पादक संघ के संबंध में 'निम्नतर शास्ति में वृद्धि' स्थिति की

मंजूरी के लिए पूर्विक्ता स्थिति के अनुक्रम में जांच की जाएगी और पहले आवेदक के मामले में दिये गये अनुसार ऊपर विहित प्रक्रिया *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू होगी।

(7) निम्नतर शास्ति में वृद्धि के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाले आयोग के विनिश्चय को आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

गोपनीयता

8. (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग या महानिदेशक आवेदक की पहचान या उससे प्राप्त सूचना को गोपनीय मानेगा और तब तक ऐसी पहचान या सूचना को प्रकट नहीं करेगा जब तक कि,—

(क) आवेदक की पहचान; और

(ख) आवेदक द्वारा विनियम 6 और/या विनियम 7 के अधीन दी गई सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य:

परंतु यह कि आवेदक की पहचान या ऐसी सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य का प्रकटन किया जा सकेगा यदि,—

(i) प्रकटन विधि द्वारा अपेक्षित हो; या

(ii) आवेदक ने लिखित में ऐसे प्रकटन के प्रति सहमति दी हो; या

(iii) आवेदक द्वारा कोई लोक प्रकटन किया गया हो।

परंतु यह भी कि जहां महानिदेशक अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी पक्ष को, यथास्थिति, विनियम 6 या विनियम 7 के अधीन प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य का प्रकटन करना आवश्यक समझता है और आवेदक ने ऐसे प्रकटन के लिए सहमित नहीं दी है, वहां महानिदेशक लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके और आयोग का पूर्व अनुमोदन करने के पश्चात, ऐसे पक्षकार को ऐसी सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य का प्रकटन कर सकेगा।

(2) उपर्युक्त विनियम 6 और 7 के अधीन, पंद्रह दिवसों की अवधि के भीतर या आयोग द्वारा विस्तारित की जाने वाली और अवधि के दौरान आयोग के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण सिवाय, निम्नतर शास्ति और/या निम्नतर शास्ति में वृद्धि के आवेदक द्वारा महानिदेशक के समक्ष किये गये और सभी प्रस्तुतिकरणों की गोपनीयता, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35 के उपबंधों के निबधनों के अनुसार शासित होगी।

दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां

9.(1) विनियम 8 के अधीन गोपनीयता में किसी बात के होत हुए भी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 37 के उपविनियम (1), (3) और (4) के उपबंध और विनियम 50 के उपबंध, उस सीमा तक जिस तक उनका प्रमाणित प्रतियों के निरीक्षण और प्रदान करने का संबंध है, महानिदेशक के निष्कर्षों से अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्रति को आयोग द्वारा संबद्ध पक्षकार को अग्रेषित करने के पश्चात विनियम 6 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य के गैर-गोपनीय पाठ को लागू हो जाएंगे।

(2) विनियम 8 के अधीन गोपनीयता में किसी बात के होत हुए भी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 37 के उपविनियम (1), (3) और (4) के उपबंध और विनियम 50 के उपबंध, उस सीमा तक जिस तक उनका प्रमाणित प्रतियों के निरीक्षण और प्रदान करने का संबंध है, महानिदेशक के निष्कर्षों से अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्रति को आयोग द्वारा दूसरे उत्पादक संघ में संबद्ध पक्षकार को अग्रेषित करने के पश्चात विनियम 7 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य के गैर-गोपनीय पाठ को लागू हो जाएंगे।

(3) इस विनियम के अधीन प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण करने या अभिप्राप्त करने वाला कोई पक्षकार, ऐसी सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य का प्रकटन नहीं करेगा जो अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न इस तरह अभिप्राप्त किये गये हों।

प्रत्याहरण

10.(1) आवेदक आयोग द्वारा संबंधित मामले में अधिनियम की धारा 26 के अधीन अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व, किसी भी समय पर, यथास्थिति, विनियम 6 और/या विनियम 7 के अधीन आवेदन का प्रत्याहरण कर सकेगा।

(2) जहां आवेदक, यथास्थिति, विनियम 6 और/या विनियम 7 के अधीन आवेदन का प्रत्याहरण करता है वहां महानिदेशक या आयोग आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना या साक्ष्य या दस्तावेज का, उसकी स्वीकृति के सिवाय, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कठिनाई का निवारण

11. इन विनियमों के निर्वचन या कार्यान्वयन के विषय में यदि कोई संदेह या कठिनाई उद्भूत होती है तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

12. (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009, उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस तारीख को ये प्रवृत्त होंगे।

(2) ऐसे निरसन किसी बात के होते हुए भी –

- (क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित किये गये विनियमों के अधीन, किया गया कुछ भी या की गई या किया जाना या की गई तात्पर्यित कोई कार्रवाई, या कोई कार्यवाही या विनिश्चय, आरंभ की गई जांच या आरंभ किया गया अन्वेषण, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया जाना या किया गया समझा जाएगा;
- (ख) निरसित विनियमों का प्रवर्तन या तदधीन विधिवत किया गया या भुक्त कुछ भी, तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या तदधीन घटित कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेंगे मानो निरसित विनियम कभी निरसित ही न किए गए हों;
- (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 के निरसन के पश्चात, आयोग द्वारा जारी कोई विनियम, निदेश या विनिश्चय में सहित कोई प्रतिनिर्देश, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों का प्रतिनिर्देश होना समझा जाएगा।

अनुसूची I**आवेदन की अंतर्वस्तु**

[विनियम 6 के उपविनियम (1) और (4) देखें]

निम्नतर शास्ति के लिए आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

- (क) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और साथ ही उत्पादक संघ के अन्य सभी उद्यमों का नाम और पता;
- (ख) उस दशा में जहां आवेदक भातर से बाहर रहता है यहां संसूचना के लिए भारत में पता जिसके अंतर्गत टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता आदि हैं;
- (ग) अभिकथित उत्पादक संघ व्यवस्था का एक व्यौरेवार वर्णन, जिसमें इसके लक्ष्य और उद्देश्य तथा ऐसे लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये क्रियाकलापों और कृत्यों के व्यौरे सम्मिलित होंगे;
- (घ) उत्पादक संघ में आवेदक की भूमिका और विनियम 2 के उपविनियम (1)(ख) के निबंधनों के अनुसार उसकी स्वीकृति;
- (ङ) अंतर्वलित माल या सेवाएं;
- (च) सम्मिलित होने वाले भौगोलिक बाजार;
- (छ) उत्पादक संघ का प्रारंभ और उसकी समायावधि;

- (ज) अभिकथित उत्पादक संघ से प्रभावित कारबार की प्राक्कलित मात्रा;
- (झ) ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो आवेदक की जानकारी में अभिकथित उत्पादक संघ से सहबद्ध हैं या रहे हैं और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आवेदक की ओर से उसमें सम्मिलित रहे हैं, नाम, हैसियत, कार्यालय के अवस्थान और जहां कहीं आवश्यक हो घर के पते;
- (ञ) ऐसे अन्य प्रतिस्पर्धा अधिकारी, मंचों या न्यायालयों के, यदि कोई हों, ब्यौरे जिनसे अभिकथित उत्पादक संघ के संबंध में संपर्क किया गया है या संपर्क करने का आशय है;
- (ट) आवेदक द्वारा अधिनियम के उपबंधों के कोई पूर्ववर्ती उल्लंघन या अधिनियम के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के लिए आयोग के समक्ष आवेदक के विरुद्ध अनिर्णीत कोई कार्यवाही के ब्यौरे;
- (ठ) निम्नतर शास्ति के लिए आवेदन के समर्थन में उपलब्ध कराए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और अंतर्वस्तु के संबंध में साक्ष्य की ब्यौरेवार सूची; और
- (ड) ऐसी कोई अन्य सारवान जानकारी जिसके संबंध में आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।

अनुसूची II

आवेदन की अंतर्वस्तु

[विनियम 7 के उपविनियम (1) और (4) देखें]

निम्नतर शास्ति में वद्धि के लिए आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- क. आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, ईमेल, संपर्क सूत्र और पता;
- ख. चल रहे विषय या मामला(मामले) के ब्यौरे जिसमें आवेदक ने पहले ही कोई पूर्विकता स्थिति अभिप्राप्त की है;
- ग. अनुसूची I में मांगे गए ब्यौरे के अनुसार नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ से संबंधित प्रकटन (दो मूल प्रतियां);
- घ. क्या उपर्युक्त (ख) और (ग) में निर्दिष्ट आचरण या उत्पाद या सेवा या पक्षकार या विषय के बीच कोई समानता विद्यमान है, तत्संबंधी ब्यौरे के साथ;
- ङ. उपर्युक्त विषय-बिंदु (ख) और (ग) में किए गए प्रकटन के दृष्टिगत यह औचित्य कि नव प्रकटीकृत उत्पादक संघ कैसे नया है या पहले के उत्पादक संघ कैसे अलग उत्पादक संघ व्यवस्था है; और
- ग. कोई अन्य सारवान जानकारी।

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./759/2023-24]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA (LESSER PENALTY) REGULATIONS, 2024

(NO.02 OF 2024)

No. L-3(4)/Reg-L.P./2023-24.—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) and clauses (ga), (gb) and (gc) of sub-section (2) of section 64, read with section 46 and clause (b) of section 27 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: -

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

- (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003) as amended from time to time;
- (b) “admission” means statement or submission by a party that it has indulged in the alleged violation of the provisions of Section 3 of the Act;
- (c) “applicant” means an enterprise, as defined in clause (h) of section 2 of the Act, who is or was a member of a cartel and includes an individual who has been involved in the cartel on behalf of an enterprise; and further includes an enterprise or association of enterprises or a person or association of persons, though not engaged in identical or similar trade if it participates or intends to participate in furtherance of such cartel and submits an application for lesser penalty and/or lesser penalty plus to the Commission;
- (d) “cartel” means a cartel as defined in clause (c) of section 2 of the Act;
- (e) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (f) “designated authority” means an officer of the Commission who is authorized by the Chairperson to function as such, for the purpose of these regulations;
- (g) “Director General” means the Director General as defined in clause (g) of section 2 of the Act;
- (h) “newly disclosed cartel” means a cartel as determined by the Commission having regard to the disclosures provided by the applicant in Schedule I and Schedule II of these regulations, including the material available with the Commission or the Director General, which enables the Commission to form a prima facie opinion under sub section (1) of section 26 of the Act;
- (i) “party” includes an enterprise or person defined in clauses (h) and (l) of section 2 of the Act, respectively, against whom inquiry or proceeding is instituted and shall include the Central Government, any State Government or any statutory authority and shall also include any person permitted to join the proceedings;
- (j) “priority status” means the position of the applicant marked for giving the benefit of lesser penalty or lesser penalty plus in the queue of the applicants;
- (k) “vital disclosure” means full and true disclosure of information or evidence by the applicant to the Commission, which is sufficient to enable the Commission to form a prima facie opinion about the existence of a cartel or which helps to establish the contravention of the provisions of section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

CONDITIONS FOR LESSER PENALTY OR LESSER PENALTY PLUS

3. (1) An applicant, seeking the benefit of lesser penalty or lesser penalty plus under section 46 of the Act, shall–

- (a) cease to have further participation in the cartel from the time of its disclosure unless otherwise directed by the Commission;
- (b) provide vital disclosure in respect of alleged contravention of the provisions of section 3 of the Act;
- (c) provide all relevant information, documents and evidence as may be required by the Commission;
- (d) co-operate genuinely, fully, continuously and expeditiously throughout the investigation and other proceedings before the Commission;
- (e) not conceal, destroy, manipulate or remove the relevant documents in any manner that may contribute to the establishment of a cartel; and
- (f) not give any false evidence or omit to submit any material information knowing it to be material.

(2) The applicant shall provide the names of the individuals who have been involved in the cartel on its behalf and for whom lesser penalty or lesser penalty plus, as the case may be, is sought by the applicant.

(3) Where an applicant or its authorized representative, at the time of filing of application for lesser penalty or lesser penalty plus, as the case may be, fails to provide full and true disclosure of the information and evidence as referred and described in Schedule I or Schedule II or both or as required by the Commission from time to time,

the Commission may reject its application.

(4) Without prejudice to sub-regulation (1), the Commission may subject the applicant to further restrictions or conditions, as it may deem fit, after considering the facts and circumstances of the case.

(5) Where an applicant or its authorized representative fails to comply with the conditions mentioned in sub-regulations (1) and (4), either before the Director General or before the Commission after receipt of the investigation report, the Commission may reject its application.

(6) Before rejecting the lesser penalty or lesser penalty plus application of the applicant under this regulation, the Commission shall provide an opportunity of being heard to such applicant.

(7) Notwithstanding rejection of application in terms of sub-regulations (3) or (5) above, the Commission or the Director General shall be free to use the information, documents and evidence submitted by the applicant, in the ongoing matter, in accordance with the provisions of section 46 of the Act.

(8) Upon rejection of application in terms of sub-regulations (3) or (5) above, the applicant may be subjected to inquiry for the contravention.

(9) The discretion of the Commission, in regard to reduction in monetary penalty under these regulations, shall be exercised having due regard to –

- (a) the stage at which the applicant comes forward with the disclosure;
- (b) the evidence already in possession of the Commission;
- (c) the quality of the information provided by the applicant;
- (d) fulfilment of conditions specified in sub-regulation (1) and (4) above; and
- (e) the entire facts and circumstances of the case.

GRANT OF LESSER PENALTY

4. Subject to the conditions laid down in regulation 3, the applicant and individual(s) mentioned in sub-regulation 2 of regulation 3 shall be granted benefit of lesser penalty on the amount leviable under clause (b) of section 27 and section 48 of the Act, as the Commission may decide, in the following manner, namely:—

- (a) The applicant and individual(s) mentioned in sub-regulation (2) of regulation 3 may be granted benefit of reduction in penalty upto or equal to one hundred percent, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting evidence of a cartel, enabling the Commission to form a *prima facie* opinion regarding the existence of a cartel which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act and the Commission did not, at the time of application, have sufficient evidence to form such an opinion:

Provided that the Commission may also grant benefit of reduction in penalty up to or equal to one hundred per cent, to the applicant and individual(s) mentioned in sub-regulation (2) of regulation 3, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting such evidence which establishes the contravention of the provisions of section 3 of the Act, by a cartel, in a matter under investigation and the Commission, or the Director General did not, at the time of application, have sufficient evidence to establish such a contravention.

- (b) The applicant(s) and individual(s) who are subsequent to the first applicant may also be granted benefit of reduction in penalty on making a disclosure by submitting evidence, which in the opinion of the Commission, provides significant added value to the evidence already in possession of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of the cartel, which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act.

Explanation — For the purposes of these regulations, ‘significant added value’ means the extent to which the evidence provided enhances the ability of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of a cartel, which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act.

- (c) The reduction in monetary penalty referred to in clause (b) shall be in the following order—
 - (i) the applicant and individual(s) mentioned in sub-regulation (2) of regulation 3 marked as second in the priority status may be granted reduction of monetary penalty up to or equal to fifty percent of the penalty imposed; and
 - (ii) the applicant and individual(s) mentioned in sub-regulation (2) of regulation 3 marked as third or subsequent in the priority status may be granted reduction of penalty up to or equal to thirty percent of the penalty imposed.

GRANT OF LESSER PENALTY PLUS

5. (1) In terms of sub-section (4) of section 46 of the Act and subject to the conditions laid down in regulations 3 and 4, an applicant, who had earlier made a full, true and vital disclosure in respect of alleged contravention of provisions of section 3 of the Act under regulation 6 (first cartel), makes a full, true and vital disclosure in respect of existence of another cartel (second cartel) in which it is alleged to have violated section 3 of the Act, which enables the Commission to form a *prima facie* opinion regarding the existence of newly disclosed cartel under sub-section (1) of section 26 of the Act, may be granted an additional reduction in monetary penalty up to or equal to thirty per cent of the penalty imposed with regard to the first cartel besides obtaining benefit of reduction in penalty up to or equal to one hundred percent in respect of newly disclosed cartel in terms of sub-section (1) of section 46 of the Act.

Illustration:

In respect of Cartel A, X and Y are lesser penalty applicants having first and second marker status with reduction in penalty available of up to or equal to one hundred percent and fifty percent, respectively. Y, being aware of Cartel B, reports about it under regulation 7. Subject to fulfilment of requisite conditions, for reporting Cartel B, Y shall be eligible for additional reduction in penalty of up to or equal to thirty percent in respect of Cartel A, besides obtaining first marker status in respect of Cartel B.

Provided that the individual(s) of such applicant who were part of its lesser penalty application in the first cartel may also be granted the benefit of lesser penalty plus as applicable to the applicant, if such individual(s) are also a part of both the newly disclosed cartel and the lesser penalty plus application filed in that regard.

- (2) While determining the newly disclosed cartel in terms of sub-section (4) of section 46 of the Act, the Commission may have due regard to all relevant factors that distinguish the newly disclosed cartel from the existing cartel.
- (3) The discretion of the Commission, in regard to reduction in monetary penalty under regulation 5, shall be exercised having due regard to-
 - a) likelihood of the newly disclosed cartel being detected by the Commission or the Director General without lesser penalty plus application, and
 - b) any other factor deemed relevant by the Commission.

PROCEDURE FOR GRANT OF LESSER PENALTY

6. (1) For the purpose of grant of lesser penalty, the applicant or its authorized representative may make an application containing all the material information as specified in the Schedule I of these regulations, or may intimate in writing either in person or through e-mail or fax, to the designated authority, for furnishing the information and evidence relating to the existence of a cartel. The designated authority shall, thereafter, within ten working days, put up the matter before the Commission for its consideration.

Provided that an application under sub regulation (1) of regulation 6 for grant of lesser penalty can be made at any time during inquiry but not after the report of investigation directed under section 26 of the Act has been received by the Commission.

- (2) The date and time of receipt of the application by the Commission shall be the date and time as recorded by the designated authority or as recorded on the server or the facsimile transmission machine of the designated authority.
- (3) The Commission shall thereupon mark the priority status of the applicant and the designated authority shall convey to the applicant through post or e-mail or fax that the 'appropriate priority status has been marked', and that it shall not entitle the applicant for grant of lesser penalty merely on that basis.
- (4) If only an intimation is received under sub-regulation (1) for furnishing the information and evidence relating to existence of a cartel, the Commission shall direct the applicant to submit a written application containing all the material information as specified in the Schedule I of these regulations within a period not exceeding fifteen days.
- (5) Where the application, along with the necessary documents, is not received within a period of fifteen days from the date of communication of direction under sub-regulation (4) or during the further period as may be extended by the Commission, the priority status of the applicant and consequent benefit of grant of lesser penalty shall stand forfeited.
- (6) Unless the evidence submitted by the first applicant has been evaluated, the next applicant shall not be evaluated by the Commission.
- (7) Where the benefit of the priority status is not granted to the first applicant, the subsequent applicants shall move up in order of priority for grant of priority status by the Commission and the procedure prescribed above, as

in the case of first applicant, shall apply *mutatis mutandis*.

(8) The decision of the Commission of granting or rejecting the application for lesser penalty shall be communicated to the applicant.

PROCEDURE FOR GRANT OF LESSER PENALTY PLUS

7. (1) For the purpose of grant of lesser penalty plus, the applicant or its authorized representative may make an application containing all the material information as specified in the Schedule II to these regulations, or may intimate in writing either in person or through e-mail or fax, to the designated authority for furnishing the information and evidence relating to the existence of a newly disclosed cartel. The designated authority shall, thereafter, within ten working days, put up the matter before the Commission for its consideration.

Provided that an application under sub regulation (1) of regulation 7 for grant of lesser penalty plus can be made at any time before the receipt of investigation report of the Director General under section 26 of the Act in the first cartel by the Commission.

Provided further that in case of more than one applicant for lesser penalty plus in respect of a newly disclosed cartel, the Commission shall not examine the application of the next or subsequent applicant(s) for grant of the lesser penalty plus, unless the application of the first lesser penalty plus applicant has been rejected by the Commission.

(2) The date and time of receipt of the application by the Commission shall be the date and time as recorded by the designated authority or as recorded on the server or the facsimile transmission machine of the designated authority.

(3) The Commission shall thereupon mark the priority status of the applicant, for lesser penalty plus in respect of the first cartel, and simultaneously for lesser penalty in respect of the newly disclosed cartel, and the designated authority shall convey to the applicant through post or e-mail or fax that the 'appropriate priority status has been marked', and that it shall not entitle the applicant for grant of lesser penalty plus and/or lesser penalty merely on that basis.

(4) If only an intimation is received under sub-regulation (1) for furnishing the information and evidence relating to the existence of a newly disclosed cartel, the Commission shall direct the applicant to submit a written application containing all the material information as specified in the Schedule II to these regulations within a period not exceeding fifteen days.

(5) Where the application, along with the necessary documents, is not received within a period of fifteen days from the date of communication of direction under sub-regulation (4) or during the further period as may be extended by the Commission, the priority status of the applicant both for lesser penalty plus in respect of the first cartel and for lesser penalty in respect of the newly disclosed cartel along with their respective consequent benefits, shall stand forfeited.

(6) Where the benefit of the 'lesser penalty plus' is not granted to the first applicant by the Commission, the subsequent applicant(s), if any, shall be examined by the Commission in order of their priority status for grant of 'lesser penalty plus' status in respect of the first cartel and the procedure prescribed above, as in the case of first applicant, shall apply *mutatis mutandis*.

(7) The decision of the Commission of granting or rejecting the application for lesser penalty plus shall be communicated to the applicant.

CONFIDENTIALITY

8. (1) Notwithstanding anything contained in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the Commission or the Director General shall treat as confidential,—

- (a) the identity of the applicant; and
- (b) the information, documents and evidence furnished by the applicant under regulation 6 and/or regulation 7:

Provided that the identity of the applicant or such information or documents or evidence may be disclosed if,—

- (i) the disclosure is required by law; or
- (ii) the applicant has agreed to such disclosure in writing; or
- (iii) there has been a public disclosure by the applicant

Provided further that where the Director General deems it necessary to disclose the information, documents and evidence furnished under regulation 6 or regulation 7, as the case may be, to any party for the purposes of investigation and the applicant has not agreed to such disclosure, the Director General may disclose such information, documents and evidence to such party for reasons to be recorded in writing and after taking prior approval of the Commission.

(2) Except submissions made before the Commission under regulations 6 and 7 above within a period of fifteen days or during the further period as may be extended by the Commission, confidentiality of all further submissions made by the lesser penalty and/ or lesser penalty plus applicant before the Director General shall be governed in terms of provisions of regulation 35 of Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

INSPECTION AND CERTIFIED COPIES OF DOCUMENTS

9. (1) Notwithstanding the confidentiality under regulation 8, the provisions of sub- regulations (1), (3) and (4) of regulation 37 and the provisions of regulation 50 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, to the extent it relates to inspection and grant of certified copies, shall become applicable to the non-confidential version of the information, documents and evidence furnished by the applicant under regulation 6, after the Commission forwards a copy of the report containing the findings of the Director General to the party concerned.

(2) Notwithstanding the confidentiality under regulation 8, the provisions of sub- regulations (1), (3) and (4) of regulation 37 and the provisions of regulation 50 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, to the extent it relates to inspection and grant of certified copies, shall become applicable to the non-confidential version of the information, documents and evidence furnished by the applicant under regulation 7 in the second cartel, after the Commission forwards a copy of the report containing the findings of the Director General to the party concerned in the second cartel.

(3) Any party conducting inspection or obtaining certified copies under this regulation shall not disclose such information, documents and evidence so obtained other than for the proceedings under the Act.

WITHDRAWAL

10. (1) The applicant may withdraw the application under regulation 6 and/or regulation 7, as the case may be, any time prior to the receipt of the report of investigation, under section 26 of the Act in the concerned matter, by the Commission.

(2) Where the applicant withdraws application under regulation 6 and/or regulation 7, as the case may be, the Director General or the Commission shall be at liberty to use for the purposes of the Act any information or evidence or document submitted by the applicant except its admission.

REMOVAL OF DIFFICULTY

11. In the matter of interpretation or implementation of the provisions of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon, shall be binding.

REPEAL AND SAVINGS

12. (1) The Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009, stand repealed from the date on which these regulations come into force.

(2) Notwithstanding such repeal –

- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or any proceedings or decision, inquiry or investigation commenced under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;
- (b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder, or any investigation, legal proceeding or remedy ensued thereunder, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed;
- (c) after the repeal of the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009, any reference thereto including in any regulations, direction or decision issued by the Commission shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE I

CONTENTS OF THE APPLICATION

[See sub-regulations (1) and (4) of regulation 6]

The application for lesser penalty shall, *inter alia*, include the following, namely: -

- (a) name, email, contact number and address of the applicant or its authorized representative as well as of all other enterprises in the cartel;

- (b) in case the applicant is based outside India, the address of the applicant in India for communication including the telephone numbers and the e- mail address, etc.;
- (c) a detailed description of the alleged cartel arrangement, including its aims and objectives and the details of activities and functions carried out for securing such aims and objectives;
- (d) the role of the applicant in the cartel and admission in terms of sub-regulation (1)(b) to regulation 2;
- (e) the goods or services involved;
- (f) the geographic market covered;
- (g) the commencement and duration of the cartel;
- (h) the estimated volume of business affected in India by the alleged cartel;
- (i) the names, positions, office locations and, wherever necessary, home addresses of all individuals who, in the knowledge of the applicant, are or have been associated with the alleged cartel, including those individuals which have been involved on behalf of the applicant;
- (j) the details of other Competition Authorities, forums or courts, if any, which have been approached or are intended to be approached in relation to the alleged cartel;
- (k) details of any previous contravention of the provisions of the Act by the applicant or any proceeding pending against the applicant before the Commission for alleged violation of provisions of the Act;
- (l) a descriptive list of evidence regarding the nature and content of evidence provided in support of the application for lesser penalty; and
- (m) any other material information as may be directed by the Commission.

SCHEDULE II

CONTENTS OF THE APPLICATION

[See sub-regulations (1) and (4) of regulation 7]

The application for lesser penalty plus shall, *inter alia*, include the following, namely:-

- (a) name, email, contact number and address of the applicant or its authorized representative;
- (b) details of the ongoing matter or case(s) in which the applicant has already obtained any priority status;
- (c) disclosures pertaining to newly disclosed cartel as per the details sought in Schedule I (two original copies);
- (d) whether there exists any similarity between the conduct or product or service or parties or matter referred to in (B) and (C) above, along with details thereof;
- (e) justification as to how the newly disclosed cartel is new or separate cartel arrangement from the first cartel in view of disclosure made in point (B) and (C) above; and
- (f) any other material information.

ANUPAMA ANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./759/2023-24]